परफारमेंस बजट

वर्ष 2007–2008

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रमांक
ग्रामीण विकास से संबंधित		
1.	योजनाओं का संक्षिप्त विवरण	1 – 4
2.	बजटीय अनुमान 2007–08	5
3.	योजनावार भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्ति	6 – 7
4.	Outcome Budget	8
पंचायत अनुभाग से संबंधित		

अध्याय – 1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में 02 फरवरी, 2006 से प्रारंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में दुर्ग जिले को छोड़कर राज्य के सभी 15 जिलों में यह योजना संचालित है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90% एवं 10% राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

(2) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :–

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना एवं खाद्यान्न की सुरक्षा के साथ–साथ स्थाई सामुदायिक सामाजिक एवं आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन तथा अधोसंरचना का विकास करना है । योजनान्तर्गत ग्रामीण निर्धन अकुशल श्रमिक जिन्हें रोजगार की आवश्यकता हो उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । अत्यधिक गरीब महिला अ.जा. /अ.ज.जा. जोखिम पूर्ण व्यवसाय से निकाले गए बच्चों के माता पिता को रोजगारमूलक कार्यो में प्राथमिकता दी जाती है । यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इस योजना के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 है, केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिसके पविहन पर होने वाले व्यय का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित किये जाने के फलस्वरूप यह योजना वर्ष 2007–08 में केवल दुर्ग जिला में क्रियान्वित थी ।

(3) **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :–**

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके आय में वृद्धि हेतु बैंक लोन एवं शासन की ओर से अनुदान /सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे तीन वर्षो में गरीबी रेखा से उपर उठ सके । योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत अधोसंरचा कार्य हेतु, 10 प्रतिशत प्रशिक्षण, 10 प्रतिशत चक्रीय निधि, 1 प्रतिशत जोखिम निधि हेतु निर्धारित होती है ।

स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसके अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 है ।

(4) **इंदिरा आवास योजना :–**

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए आवास निर्माण हेतु शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है । जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जात है । आवासों का निर्माण स्वंय हितग्राही द्वारा किया जाता है और राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है । यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

(5) **डी.आर.डी.ए.–प्रशासन :–**

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 16 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के संचालन हेतु केन्द्र शासन से 75 प्रतिशत तथा राज्य शासन से 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

(6) **जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरियाली) :–**

कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य में यह योजना संचालित की जा रही है ।

जलग्रहण क्षेत्र वास्तव में भू–सतह पर इस तरह का क्षेत्र होता है, जिसमें ढाल की विशिष्टता के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र का वर्षाजल छोटे–छोटे नालियों, नालों एवं नदियों से प्रवाहित होता हुआ अंततः एक उभयनिष्ठ बिन्दु से बाहर निकलता है । इसकी सबसे छोटी इकाई माइक्रो वाटरशेड कहलाती है, जो लगभग 500 हेक्टेयर की होती है, एक मिलीवाटर शेड में लगभग 10 माइक्रो वाटरशेड होते है । इस तरह इसका क्षेत्रफल औसतन 5000 हेक्टेयर होता है । जलग्रहण क्षेत्र विकास की परियोजनाओं का वित्त पोषण केन्द्र प्रवर्तित

दो कार्यक्रमों के अंतर्गत रु. 6000/– प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :–

(A) **<u>सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) :–</u>**

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के 08 जिलों के 29 विकासखण्डों में सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जलग्रहण क्षेत्र विकास की परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाती है । यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसके लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश 75:25 अनुपात में प्राप्त होती है ।

(B) **<u>एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP) :–</u>**

छत्तीसगढ़ राज्य के 08 जिलों के 29 सूखाग्रस्त माने गए विकासखण्डों को छोड़कर अन्य जिलों सहित इन जिलों के शेष विकासखण्डों में योजना के तहत भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाती है । यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसके लिए केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा 11:1 के अनुपात में वित्त पोषण किया जा रहा है ।

(7) **<u>राष्ट्रीय सम विकास योजना /पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :–</u>**

राष्ट्रीय सम विकास योजना भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत पिछड़े एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों में समकेन्द्रित विकास कार्यक्रमों एवं नीतियों को व्यवस्थित कर विकास में तेजी लाना है । योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्याओं एवं विकास गतिविधियों में भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना के महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटना है । योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले हेतु प्रतिवर्ष रुपये 15.00 करोड़ की दर से तीन वर्षीय कार्य योजना के कुल रु. 45.00 करोड़ की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद से वित्त पोषण किये जाने का प्रावधान किया गया था । राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत शामिल 08 जिलों (बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा एवं जशपुर) को रुपये 45.00 करोड़ का आबंटन प्राप्त हो चुका है ।

राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत शामिल उपरोक्त 08 जिले सहित 13 जिले (बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, रायगढ़, धमतरी एवं महासमुंद) पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्थानीय संस्थाओं पंचायत एवं नगरीय निकायों को स्थानीय जरूरत के अनुसार योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निगरानी में उनकी क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने व सुदृढ़ करने के

साथ–साथ विकास की गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु वित्तीय राशि उपलब्ध कराना है । पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।

(7) **छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना ''नवां अंजोर'' :–**

''नवां अंजोर'' परियोजना राज्य के 16 जिलों के 40 विकासखंडों की 2023 ग्राम पंचायतों में विश्व बैंक की सहायता से संचालित है । परियोजना का उद्‌देश्य साधन विहिन परिवारों के समूहों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय के स्त्रोतों में वृद्धि करना, ग्रामीण गरीब पुरूष व महिलाओं की क्षमता में विकास कर उनके लिए रोजगार की अधिक संभावनाएं उत्पन्न करना, समहित समूहों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तरीय संस्थाओं को अधिक क्रियाशील बनाना है ।

(8) **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) :–**

इस संस्थान का उद्‌देश्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पंचायतीराज अधिनियमों, पंचायतों के कामकाज, संचालन प्रक्रिया, विकास की अवधारणा, योजना एवं बजट, शासन की योजनाएं, शासकीय कार्यालयों में उनकी कार्यप्रणाली, नेतृत्व एवं कौशल का ज्ञान कराना ।

शासन द्वारा जारी नई नीतियों, दिशा–निर्देशों, नियमों, अधिनियमों में संशोधन, अधिकारों कर्तव्यों व शक्तियों का विकेन्द्रीकरण समय–समय पर किया जाता रहा है, इनकी मूल योजना को साकार करने एवं वांछित उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग करने, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी (शासकीय पदाधिकारियों) को पूर्णतः जानकारी देना एवं उनकी कार्य कौशल में वृद्धि करना।

पंचायती राज प्रणाली से जुड़े समस्त कार्यो (शासकीय एवं गैर शासकीय पदाधिकारियों) को आवश्यक सूचना, ज्ञान तथा अभिप्रेरणा उपलब्ध कराकर स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को सक्षम बनाना है ।

अध्याय– 2

वर्ष 2007–08 का बजटीय अनुमान

(राशि रु. हजार में)

क्रमांक	योजना का प्रकार	बजट अनुमान वर्ष 2007–08	पुनरीक्षित अनुमान 2007–08	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA)	900000	1700000	1360000
2	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	159700	159700	83400
3	स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)	177500	177500	171000
4	इंदिरा अवास योजना (IAY)	190300	190300	185700
5	डी.आर.–डी.ए–.प्रशासन (DRDA-Admin)	25000	25000	17900
6	सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)	97400	97400	44100
7	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP)	32200	32200	23500
8	राष्ट्रीय सम विकास योजना /पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (RSVY / BRGF)	1300000	2881200	2711200
9	''नवां अंजोर'' (DPRP)	1600000	1600000	450000
10	छ.ग. ग्रामीण विकास संस्थान' (SIRD)	24395	24395	6300

अध्याय – 3

भौतिक लक्ष्य तथा प्राप्ति

(1) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग आधारित योजना है, जिसके लिए भौतिक लक्ष्य का पूर्वानुमान संभव नही है । यद्यपि वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए 780.00 लाख मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए 1159.19 करोड़ केन्द्रांश राशि उपलब्ध कराये जाने एवं आनुपातिक राशि राज्यांश जारी किये जाने के फलस्वरूप 1316.10 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ ।

(2) **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :–**

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 के प्रारंभ में 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन योजना एक ही जिला दुर्ग में संचालित होने के कारण संशोधित लक्ष्य 25 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के विरूद्ध 22.85 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ ।

(3) **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :–**

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्व–सहायता समूह के 37715 हितग्राहियों के लक्ष्य के विरूद्ध 42393 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई ।

(4) **इंदिरा आवास योजना :–**

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 के लिए संशोधित लक्ष्य 29714 आवास निर्माण के विरूद्ध 28717 आवास का निर्माण किया गया ।

(5) **सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) :–**

इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपेक्षा से कम राशि उपलब्ध कराये जाने के कारण 64933 हेक्टेयर भूमि का

उपचार करने का संशोधित लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 21618 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया ।

(6) **एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP) :–**

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपेक्षा से कम राशि उपलब्ध कराये जाने के कारण 64400 हेक्टेयर भूमि का उपचार करने का संशोधित लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 44940 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया ।

(7) **राष्ट्रीय सम विकास योजना /पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :–**

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 90 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 48.80 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया ।

(7) **छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना ''नवां अंजोर'' :–**

छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना ''नवां अंजोर'' के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 11360 समहित समूह के गठन का संशोधित लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 10080 समहित समूह का गठन किया गया ।

(8) **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) :–**

छ.ग. ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में 300 प्रशिक्षण आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 282 प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

अध्याय– 4

परफारमेंस बजट वर्ष 2007–08

विभाग :– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग **प्रपत्र–1**

विभागाध्यक्ष :– विकास आयुक्त कार्यालय

(राशि रु. हजार में)

क्र.	योजना का प्रकार	उद्देश्य /परिणाम	आयोजना राशियां	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियां		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA)	मानव दिवस सृजन	17000000	मांग आधारित	1316.10 लाख	14000000	
2	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	मानव दिवस सृजन	224400	25 लाख	22.85 लाख	191600	
3	स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)	लाभान्वित हितग्राही संख्या	710000	37715	42393	653000	
4	इंदिरा अवास योजना (IAY)	आवासों की संख्या	761200	29714	28717	742800	
5	सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)	भूमि उपचार हेक्टेयर में	176500	64933	21618	117100	
6	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP)	भूमि उपचार हेक्टेयर में	268800	64400	44940	241200	
7	राष्ट्रीय सम विकास योजना /पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (RSVY / BRGF)	मानव दिवस सृजन	2881200	90 लाख	48.80 लाख	2711200	
8	''नवां अंजोर'' (DPRP)	समहित समूह का गठन	1600000	11360	10080	450000	
9	छ.ग. ग्रामीण विकास संस्थान' (SIRD)	प्रशिक्षण	24395	300	282	6300	